

# न्यायालय तहसीलदार मसूदा, जिला - अजमेर

प्रकरण संख्या 228/2019

जस्थान सरकार जरिए पटवारी

हल्का - झाक प्रथम

बनाम साबू सिंह

पुत्र

गोकुल सिंह

जाति - मेसत रावत

निवासी - रावलाबाडिया

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट

-:निर्णय:-

दिनांक :-29.08.2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का झाक प्रथम द्वारा सम्वत 2076 ग्राम रावलाबाडिया की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 344 कुल रकबा 92.911 बीघा किस्म भूमि शही में से रकबा 2) बीघा भूमि पर अप्रार्थी श्री साबू सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति - मेसत रावत निवासी - रावलाबाडिया द्वारा नाजायज कांटो की बाड लगाकर लिए जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई। प्रकरण भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो के तहत नोटिस दिनांक 29.08.2019 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत् जारी किया गया।

अप्रार्थी ने नोटिस के जवाब में अपने पक्ष मे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है। मैने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई ठोस सबूत एवं दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिकर्मी उक्त भूमि पर काबिज है।

अतः श्री साबू सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति - मेसत रावत

निवासी - रावलाबाडिया को सिवायचक भूमि ग्राम रावलाबाडिया के खसरा नम्बर 344 कुल रकबा 92.911 किस्म भूमि चरागाह मे से रकबा 2) भूमि पर किए गए नाजायज कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि मे से बेदखल किए जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.75 को पचास गुणा 37.50/- रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावे व मौके पर खडी फसल/ अन्य को जब्ज कर सरकार निलाम किया जावे आदेश की पालना भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड कायमी हेतू तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नियर्ण आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं

शामिल मिसल किया गया

वर्ष 2019-20 के साले 4 रजिस्टर के पृष्ठ सं. पर रु. 37.50 की मांग कायम की गई।

तहसीलदार मसूदा

